1	2	3
26.	Andaman & Nicobar Islands	Rs. 27.00 p.d. (Andaman) Rs. 28.00 p.d. (Nicobar) (13-8-92)
27.	Chandigarh	Rs. 39.42 p.d.* with meals or Rs. 43.25 p.d. without meals (30-8-88)
28.	Dadra & Nagar Haveli	Rs. 40.00 p.d. (18-5-95)
29.	Delhi	Rs. 59.45 p.d.* (1-2-94)
30.	Daman & Diu	Rs. 35.00 p.d. (8-5-95)
31.	Lakshadweep	Rs. 30.00 p.d. (1-1-93)
32.	Pondicherry	
	(i) Pondicherry Region	Rs. 20.00 to Rs. 22.00 p.d (24-7-95)
	(ii) Mahe Region	Rs. 30.00 p.d. for light work Rs. 40.20 p.d. for hard work (24-7-95)
	(iii) Yanam Region	Rs. 19.26 to Rs. 26.25 p.d. (24-7-95)
	(iv) Karaikal	Rs. 20.00 to Rs. 22.00 p.d. (24-7-95)
33.	Central Sphere	Rs. 55.53 p.d.* (12-7-94)

NOTE:—(1) The Minimum Wages also include the variable dearness allowance, wherever provided.
(2) Figure in bracket under column (3) indicate the date of last revision of basic wage.
(3)* Indicate the provision of variable dearness allowance with the minimum rates of wages

Discovery of coal reserves in Gujarat and Madhya Pradesh

829. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have discovered any new coal reserve areas in Gujarat and Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof and approximate coal reserve in these locations/sites; and

(c) the measures taken for exploration of coal from those areas/sites?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (c) Geological Survey of India (G.S.I.), which is engaged in regional exploration of coal in the country, have not reported any coal reserves in Gujarat. In the case of Madhya Pradesh, G.S.I. have reported occurrence of 3515 million tonnes of coal reserves in recent years as a result of exploration carried out in twelve blocks

of Mand-Raigarh, Korba, Sohagpur and Tatapani-Ramkola coalfields. Regional exploration in these coalfields is still inprogress.

श्रमिक सहकारी समितियां

830. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बन्द पड़े औद्योगिक उपक्रमों के अधिग्रहण के लिये देश में कितनी श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) ऐसी समितियां स्थापित करने के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाए जाने के क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को संदर्भित करे। कर्मकारों के सहयोग से रूग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनरूज्जीवन उन उपायों में से एक है जिनकी इस अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पना की गयी है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अभी तक कर्मकारों के सहयोग से जिन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरूज्जीवन संबंधी पांच योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, वे हैं:—

1. नई केन्द्रीय जूट मिलें
2. कमानी ट्यूब्ज*
3. पावडर मेटल्ज
4. एच०ई०एस० लि०
5. के०एम०ए० लि०

क्रम संख्या 1, 3, 4 और 5 पर वर्णित कंपनियां, जिनके लिए पुनरूज्जीवन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी थी, कार्यान्वयनाधीन हैं।

*क्रम संख्या 2 पर वर्णित मामला जिसके लिए पहले पुनरूज्जीवन योजना की मंजूरी प्रदान की गयी थी 26-5-95 से निष्फल हो गयी है, और फिलहाल उसकी जांच चल रही है। सामान्य नीतिगत मामले के रूप में, श्रम मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों के सहयोग के माध्यम से पुनर्वास योजनाओं को प्रोत्साहित करता है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंध

831. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंध सुदृढ़ करने का है;

(ख) क्या सरकार नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस समय उन देशों के साथ किन-किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार संबंध बनाए जा रहे हैं;

(घ) भारत द्वारा इन देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत और इसके पड़ौसी देश नामतः नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान ने अपने आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में संगठित कर लिया है। संगठित होने का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ या आपसी व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना। वर्ष 1993 में एक दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) करार पर हस्ताक्षर किए गए और इस करार के प्रथम चरण को 8.12.1995 से लागू कर दिया गया है। व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और इसके पड़ौसी देशों द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, वे हैं—टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना/समाप्त करना, सरकारी अभिकरणों द्वारा विपुल मात्रा में किए जाने वाले आयात संबंधी सूचना का आदान-प्रदान, परिवहन एवं पारगमन संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, इस क्षेत्र के भीतर से सदस्य देशों की आयात संबंधी अपेक्षाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनकी मौजूदा व्यापार क्षमता को प्रदर्शित करना, सरकार और व्यापार/व्यापार संवर्धन अभिकरणों के बीच अधिक अन्तःक्रिया के लिए वीसा सुविधाओं का सरलीकरण, व्यापार स्तर पर सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन और सार्क वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा क्षेत्र के भीतर अन्तर आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ाने के प्रयास।